

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा/2024-25/1280

दिनांक 03/02/2025

आवश्यक सूचना

04 FEB 2025

विषय :- वर्ष 2024-25 हेतु अनुसूचित जनजाति के नवीन के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करने बाबद।

अनुसूचितजाति/ जनजाति के नवीन के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक 2024-25 में जमा किये शिक्षण शुल्क की वापसी चाहते हैं, राज्य शासन द्वारा सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा की जावेगी, इस हेतु बैंक खाते को आधार से लिंक कराना आवश्यक है।

A) विद्यार्थियों के माता पिता की वार्षिक आय के अनुसार शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियम निम्नानुसार है :-

क	वर्ग	माता/पिता की वार्षिक आय	छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क हेतु पात्रता
1	अनुसूचित जनजाति	रु 2,50,000 /- तक	छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क आदि नियमानुसार
2	अनुसूचित जनजाति	रु 2,50,001 /- से 8,00,000 /- तक	केवल शिक्षण शुल्क, छात्रवृत्ति नहीं

B) पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन फार्म आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाईट www.mptaasc पर ऑन-लाईन आवेदन जमा करना अनिवार्य है, जिसकी हार्ड कापी निम्नलिखित दस्तावेजों सहित पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति में दिनांक 28/02/2025 तक जमा करे, जिसके अभाव में छात्रों को शिक्षण शुल्क इत्यादि की प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं रहेगी।

C) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृती हेतु आदिवासी विकास कल्याण (आदिम जाति कल्याण विभाग) इन्दौर को प्रस्ताव स्वीकृत हेतु भेजा जावेगा। इस हेतु आवेदन के साथ में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करे :-

1) एडमिशन स्लीप/चालान/अलॉटमेंट लेटर की छाया प्रति संलग्न करे।

2) उत्तीर्ण अंक सूची :- विगत दो वर्षों की अंक सूची की फोटो कापी

3) स्थायी जाति प्रमाण पत्र :- एस.डी.एम. द्वारा जारी ही मान्य। 4) मूल निवासी प्रमाण पत्र।

5) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्र हेतु

अ) तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। ब) शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो, वर्ष 2023-24 का नियोक्ता द्वारा जारी फार्म 16 ए। अगर माता पिता दोनों कार्यरत हे तो दोनों का अलग-अलग फार्म 16 ए प्रमाण पत्र।

6) बैंक खाता नम्बर की पास बुक की फोटो कापी जो आधार कार्ड व NPCI व DBT से लिंक हो।

7) हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन की प्रति। 8) आधार कार्ड व समग्र आय.डी. की प्रतिलिपि।

9) अगर विद्यार्थी संस्थान के छात्रावास में रहता है छात्रावास का www.mptaasc पर आवेदन कर उसकी हार्ड कापी व वार्डन द्वारा जारी प्रमाण पत्र, चालान साथ में जमा करे।

D) समस्त विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति अनिवार्य है इसके अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क इत्यादि का भुगतान संभव नहीं है।

E) उल्लेखनिय है कि राज्य शासन द्वारा शिक्षण शुल्क इत्यादि की प्रतिपूर्ति न करने या कम होने पर अंतर राशि संबधित विद्यार्थियों द्वारा वहन की जावेगी।

कृपया समस्त विद्यार्थी सावधानीपूर्वक नोट करे।

प्रतिलिपि :- 1) समस्त नोटिस बोर्ड/होस्टल।

2) संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


DIRECTOR
Shri G. S. Instt. of Tech. & S.
INDORE - 452003 (M.P.)

नोट:- सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु अपना बचत बैंक खाता NPCI व DBT से लिंक कराना आवश्यक है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में प्रातः 10.30 से 1.30 व 2.30 से 4.00 तक आकर कर कार्यालय में संपर्क करे।)